



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 1991/ज्येष्ठ 14, 1913
No. 212] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 1991/JYAISTHA 14, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 1991

सा. कन. नि. 298 (अ):—केन्द्र सरकार, सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत कब्जे की बंदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 24 फरवरी, 1982 की अधिसूचना संख्या का. आ. 93 (अ) में आंशिक संशोधन करते

हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम (2) में सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों और अधिकार क्षेत्र परिभाषित करती है जिसके संबंध में उक्त सारणी के कालम (1) में निर्दिष्ट सम्पदा अधिकारी, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत सम्पदा अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा :—

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियाँ और अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)
उप सचिव, कांडला पत्तन न्यास, गांधीधाम कच्छ ।	कांडला पत्तन न्यास की, और उसके प्रबंध व नियंत्रण के अधीन सभी भूमि और परिसर ।

[फा. सं. पी आर-11019/4/91—पी जी]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT .

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 1991

G.S.R. 298(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in partial modification of the Government of India, Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) Notification No. S.O. 93(E) dated 24th February, 1982, the Central Government hereby defines the categories of Public premises and the jurisdiction in column (2) of the Table below, in respect of which the Estate officer

specified in column (1) of the said Table shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officers by or under the said Act:—

TABLE

Designation of the Officer	Categories of Public Premises and the Jurisdiction
Deputy Secretary, Kandla Port Trust, Gandhidham-Kutch.	All lands and premises belonging to and under the control and management of the Kandla Port Trust.

[F.No. PR-11019/4/91-PG]

ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

